प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 09.11.2020

महिला को प्रलोभन देकर षड़यंत्र के तहत दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार –

दिनांक 15.10.2020 को थाना मानिकपुर पर एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि उसके साथ दिनांक 14.10.2020 को सायं करीब 08:00 बजे घर जाते समय रास्ते में एक व्यक्ति विजय जयसवाल पुत्र छोटेलाल जयसवाल नि0 चौकापारपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर उक्त आरोपी के विरूद्ध मु0अ0सं0 233/20 धारा 376, 323 भादवि व 3(2)5, 3(2)5ए, 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी कुण्डा द्वारा संपादित की जा रही थी।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी विजय जयसवाल उपरोक्त व अन्य ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा में कराये गये कार्यों में अनियमितता बरतने व सरकारी धन गबन करने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान चौकापारपुर बृन्दावन मौर्या उर्फ मुनि के विरूद्ध शिकायत की गई थी, दिनांक 14.10.2020 को ही शिकायत की जांच हेतु प्रतापगढ़ से जांच टीम आई थी। इसी रंजिश के कारण ग्राम प्रधान चौकापारपुर बृन्दावन मौर्या उर्फ मुनि द्वारा गांव की ही एक महिला को प्रलोभन देकर/दुष्प्रेरित कर अपने स्वार्थ हेतु साजिश रचकर दुष्कर्म के झूठे मुकदमें में फसाने के लिये विपक्षी विजय जयसवाल उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस तरह की साजिश रचकर निर्दोश व्यक्ति को झूठे मुकदमें में फसाने के सम्बन्ध में दिनांक 05.11.2020 को ग्राम प्रधान चौकापारपुर बृन्दावन मौर्या उर्फ मुनि व उक्त महिला के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 260/20 धारा 109, 120बी, 182, 193, 195, 211, 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 09.11.2020 को थाना मानिकपुर के व0उ0नि0 श्री नन्हेलाल यादव मय हमराह द्वारा उक्त मुकदमें में आरोपी बृन्दावन मौर्या उर्फ मुनि पुत्र भगौती प्रसाद नि0 चौकापारपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मानिकपुर के अलीगंज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना पट्टी के टॉप टेन अपराधियों में तीसरे नम्बर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद–

जनपद के थाना पट्टी से उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह द्वारा एक शातिर अभियुक्त पन्ना उर्फ पन्ने उर्फ नन्हे पुत्र संतराम नि0 डेईडीह धौरहरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र पट्टी के जगदीशपुर मोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पन्ना उर्फ पन्ने उर्फ नन्हे पुत्र संतराम थाना पट्टी का टॉप टेन अपराधियों में तीसरे नम्बर का अपराधी व थाने का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है जिसका एच0एस0 नम्बर 74ए है तथा भैंस चोरी गिरोह का सदस्य है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र जेठवारा व संग्रामगढ़ से लूट, डकैती व गोकशी करने वाले 02 गैंग के पंजीकरण की कार्यवाही की गई।

जनपद के थाना जेठवारा से लूट/डकैती करने वाले 01 गैंग व थाना संग्रामगढ़ से गोकशी करने वाले 01 गैंग के गैंग लीडर व अन्य सदस्यों की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व निगरानी हेतु गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गई।

गैंग नं0 डी–56 (गोकशी से सम्बन्धित गैंग) थाना संग्रामगढ़–

गैंगलीडर– रामू उर्फ रामनरेश पुत्र नन्हे सरोज नि0 बलियापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ

गैंग के सदस्य–

01. नन्चू उर्फ मनोज पुत्र जीतलाल नि0 बलियापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
02. नन्हेलाल पुत्र रामसुख नि0 बलियापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

गैंग नं0 डी–57 (लूट/डकैती से सम्बन्धित गैंग) थाना जेठवारा–

गैंगलीडर– कफील पठान पुत्र मुस्तकीम नि0 खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ

गैंग के सदस्य–

01. तौसीम पुत्र लियाकत अली नि0 बेलाही थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. अनीस पुत्र रज्जाक नि0 पतुलकी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
03. धर्मेन्द्र कुमार सरोज उर्फ नान्हू पासी पुत्र किशोरी लाल नि0 रतीगरपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

दिनांक 09.11.2020